तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर ... जो इस ... में
21/1/20-	पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र 128 LRA पर अधिवक्ता प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र 128 LRA का स्वीकार किया जाता है। मौजा बिछोर की आराजी नं० 2369/1255, 2362/1128, 2372/1297, 2359/1124, 1130, 2366/1131, 2360/1126, 2364/1129 कित्ता-8 रकबा 0.7035 है० भूमि की कब्जाती प्रार्थी व विपक्षीगण की उपस्थिति में किये जाने हेतु तहसीलदार बेगूं को 500/- रु. फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से लिखा [illegible] किया गया। आदेश प्रति तहसीलदार बेगूं को भेजी जावे। पालना [illegible] आवे। पत्रावली फैसल शुदा की जावे [illegible] हो।	
	(हस्ताक्षर) 21.1.20 उपखण्ड अधिकारी बेगूं, जिला-चित्तौड़गढ़	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बेगूँ जिला–चित्तौडगढ़(राज॰)
(पीठासी अधिकारी रमेश सीरवी पुनाडिया आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या :: 107 / 2019

शंकर पिता जीतमल जी जाति सुथार निवासी बिछोर तह0 बेगॅू
प्रार्थी

बनाम

1. मुनीर पिता फकरूदीन जी जाति मंसूरी निवासी बिछोर तह0 बेगॅू
2. छोटू पिता भंवरलाल जी जाति सुथार निवासी बिछोर तह. बेगॅू
3. श्रीमान भूमिधारी जी तहसीलदार साहब बेगॅू जिला चितौडगढ़

विपक्षीगण

उपस्थित :: श्री एस.के.बिल्लू
अधिवक्ता प्रार्थी

आदेश दिनांक:: 21.01.2020

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री एस.के.बिल्लू द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा बिछोर प.ह. बिछोर की वर्तमान जमाबंदी खाता संख्या 26 संवत 2072 से 275 में निम्न कृषि आराजीयात प्रार्थी के खातेदारी से दर्ज रेकार्ड है जिसमें प्रार्थरी के नाम की जमीन पर काबिज होकर काश्त कर उपयोग उपभोग करता आ रहा है। कृषि आराजीयात का विवरण निम्न है:

खाता संख्या	आराजी संख्या	रकबा हैक्टर में
26	2369 / 1255	0.2575
	2362 / 1128	0.0150
	2372 / 1297	0.1925
	2359 / 1124	0.0544
	1130	0.0300
	2366 / 1131	0.0192
	2360 / 1126	0.1261
	2364 / 1129	0.0128
	किता– 8	0.7075 हैक्टर

यह कि वर्णित आराजीयात पर प्रार्थीगण निरन्तर काबिज होकर काश्त कर रहे है लेकिन विपक्षीगण सभी पडोसी है तथा प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य खेत की हकाई जुताई बुवाई घास की कटाई लगान जमा कराने आदि को लेकर उनके मध्य में विवाद होता रहता है। जिसके स्थायी समाधान हेतु मुझ प्रार्थी ने विपक्षी को तहसील में चलकर आपसी सहमति से कृषि आराजीयात की पत्थरगढ स्थायी सीमांकन कराये जाने की बात दिनांक 28.05.2019 को कही तो विपक्षी के द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिये जाने से प्रार्थी को अपनी कृषि आराजीयात की स्थायी सीमांकन कराये जाने हेतु यह पत्थरगढी किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान में पेश है।

यह कि दिनांक 10.06.2019 को जब प्रार्थीगण द्वारा विपक्षी को तहसील में चलकर आपसी सहमति से पत्थरगढी करवाने को कहा तो विपक्षी ने प्रार्थीगण को संतोषप्रद जवाब नहीं दिया और कहा कि तुम्हे पत्थरगढी करवानी हो तो तुम ही जाकर करवा लो और मौके पर लडाई झगडा करने पर आमादा हुए जिससे कारण उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान है। प्रार्थनरा पत्र वर्णित कृषि आराजीयात ग्राम बिछोर में स्थित होकर न्यायालय श्रीमान के क्षैत्राधिकार में स्थित होने एवं श्रवणाधिकार न्यायालय श्रीमान को प्राप्त होने से यह प्रार्थना न्यायालय श्रीमान में प्रस्तुत है।

अतः न्यायालय श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र की चरण संख्या एक में वर्णित मौजा बिछोर प.ह. बिछोर की खाता संख्या 26 में अंकित आराजीयात किता 8 रकबा 0.7035 हैक्टर भूमि की मौके पर पत्थरगढी किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, विपक्षीगण प्रकरण में बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से उनके विरूद्ध न्यायालय द्वारा एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए। पत्रावली में

उपखण्ड अधिकारी
बेगूँ, जिला–चित्तौडगढ़

Scanned by CamScanner

अधिवक्ता प्रार्थी की एक तरफा बहस प्रार्थना पत्र पर सुनी गई जिन्होने प्रार्थना पत्र अनुसार आराजी की पत्थरगढी कराये जाने का निवेदन किया है।

पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबंदी मौजा बिछोर प.ह. बिछोर सं. 2072 से 75 का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया। प्रार्थी शंकर पिता जीतमल सुथार वर्णित आराजी संख्या 2369/1255, 2362/1128, 2372/1297, 2359/1124, 1130, 2366/1131, 2360/1126, 2364/1129 किता–8 रकबा 0.7035 हैक्टर भूमि के खातेदार दर्ज है, जिन्हें अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकार है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट का स्वीकार किया जाता है, मौजा बिछोर प.ह. बिछोर की आराजी संख्य2369/1255, 2362/1128, 2372/1297, 2359/1124, 1130, 2366/1131, 2360/1126, 2364/1129 किता–8 रकबा 0.7035 हैक्टर भूमि की पत्थरगढी प्रार्थी एवं विपक्षीगण की उपस्थिती में किए जाने हेतु तहसीलदार, बेगूं को 500/–रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। आदेश की प्रति तहसीलदार, बेगूं को पत्थरगढी की पालना हेतु दी जाकर निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त आराजी की पत्थरगढी करा पालना रिपोर्ट पेश करें।

आदेश आज दिनांक 21.01.2020 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

21.1.2020

(रमेश सीरवी पुनाडिया)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बेगूं, जिला-चित्तौड़गढ़

क्रमांक/सारिश्ता/18 /30 28/1/20

आदेश प्रति तहसीलदार, बेगूं को पत्थरगढी करा पालना प्रस्तुत किये जाने हेतु दी जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बेगूं जिला चित्तौड़गढ़
बेगूं, जिला-चित्तौड़गढ

Scanned by CamScanner